राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकः प.8(ग)(83)नियम / डीएलबी / 2024 / 4915 दिनांकः 22/3/24

संशोधित दिशा–निर्देश

सोशल मिडिया एवं प्रिन्ट मिडिया के विभिन्न प्लेटफार्म से अधोहस्ताक्षकर्ता के संज्ञान में आया है कि श्वानों के हमले से प्रदेश में मासूम बच्चों व नागरिकों को काटने की शिकायते हो रही है। उपरोक्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए श्वानो द्वारा काटने की उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में निम्न दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं जिनकी अनुपालना सुनिश्चित की जावेः –

1. शहरी क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र में शिकायतें प्राप्त होने पर हिंसक व आक्रामक प्रवृत्ति के श्वानों की पहचान कर उनका उपचार एवं वैक्सीनेशन कर यथास्थान वापस छोड़ा जाए।
2. समस्त निकायों में स्थित महाविद्यालयों / विद्यालयों / अभिभावकों / नागरिकों / ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायत पर हिंसक व आक्रामक प्रवृत्ति के श्वानों की पहचान कर माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में यथोचित कार्यवाही करते हुए पालना सुनिश्चित की जाए।
3. श्वानों को चिन्हित कर नियमित रूप से वैक्सीनेशन किया जावे।
4. सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों के आस–पास विशेषकर लेबर रूम, गायनिक रूम, ऑपरेशन थियेटर, शिशु वार्ड के आस–पास विचरण करने वाले श्वानों को चिकित्सा विभाग की शिकायत पर तत्काल अभियान चलाकर ऐसे श्वानों को पकड़कर आवश्यक उपचार उपरान्त यथास्थान पर अथवा श्वानघर में छोड़ा जावे।
5. पालतू श्वानों को चिन्हित कर उनके मालिकों को वैक्सीनेशन हेतु पांबद किया जावे।
6. श्वानों के सम्बंध में गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर एनिमल बर्थ कन्ट्रोल (ABC) प्रोग्राम को नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बढ़ावा दिया जावे एवं उक्त कार्यवाही की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशालय को भिजवाये।
7. गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रत्येक माह बैठक आयोजित कर एनिमल वेल्फेयर के सम्बंध में सुझाव प्राप्त करें एवं ऐसे सुझाव निदेशालय को भेजे जाएं ताकि उन पर कार्ययोजना तैयार की जा सके।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(ग)(83)नियम / डीएलबी / 2024 / 4916–5212 दिनांकः 22/3/24

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
6. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(लेखराजे जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी